अति आवश्यक

पंजीकृतः–

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला

सेवा में,

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादी क्रमांक : 24 / 38–2024सी07(1)
दिनांक, पंचकूला 30/7/2025

विषयः **राजकीय महाविद्यालयो में कार्यरत सहायक / एसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसरों की वर्ष 2024–25 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन के माध्यम से भरने बारे।**

---00---

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय महाविद्यालयो में कार्यरत सहायक / एसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं भरी जाती है। जिसके कारण कई महत्वपूर्ण मामले जैसे कि **Extension in Service/Senior Scale/Selection Grade/Professor Grade** एवं **Promotion** में अनावश्यक विलम्ब होता है। जिसके कारण कई दिक्कतें आती है। इसलिए आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सहायक / एसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसरों की वर्ष 2024–24 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने के सबंध में निम्न हिदायतें जारी की गई है, जोकि निम्न अनुसार अंकित है।

1. सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके कॉलेज में कार्यरत सहायक / एसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसर की वा0 गोपनीय रिपोर्ट में पूर्ण परीक्षा परिणाम अंकित करें। अगर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई तो उसके लिये प्राचार्य स्वंय जिम्मेवार होंगे।

2. सहायक / एसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसर की वा0 गोपनीय रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखकर लिखी जाए। विशेष तौर पर सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी के सबंध में कुछ प्राचार्य सत्यानिष्ठा के कॉलम में Satisfactory/Average/No/Nil जैसे या ऐसे शब्द जो सत्यानिष्ठा से संबंधित नही है, लिखते है, जोकि हिदयतों के विरूद्व है। सत्यानिष्ठा के कॉलम में **Doubtful** या **Beyond Doubt** लिखा जाना है। इस बारे स्पष्ट रूप से सहायक / ऐसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसरों की सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी अंकित करें, यदि सहायक / ऐसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसरों की सत्यानिष्ठा बारे कोई भी विपरीत टिप्पणी दी जाती है तो उस सबंध में संबंधित दस्तावेज भी वा0 गोपनीय रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।

3- प्राचार्य / रिपार्टिंग अधिकारी के अधीनस्थ यदि कोई कर्मचारी उनका सगा–सम्बन्धी कार्यरत है तो वह उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ओवर ऑल ग्रेडिंग (रिपोटिंग) लिखने के लिए सक्षम नही है। इन परिस्थितियों में उनके Self appraisal में उनकी सत्यानिष्ठा तथा Vigilance Inquiry/Criminal Case Pending नही है, बारे सत्यापित रिपोर्ट अंकित करते हुये उनकी वा0 गोपनीय रिपोर्ट विभाग को आनॅलाईन भिजवाये।

4- प्राचार्य के सेवानिवृत होने के कारण अगर वा० गोपनीय रिपोर्ट निदेशालय द्वारा लिखी जानी है तो सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों द्वारा भरे गये सैल्फ अप्रेजल प्रोफोर्मा में सत्यानिष्ठा का कॉलम महाविद्यालय के कार्यालय रिकार्ड के आधार पर वर्तमान प्राचार्य द्वारा आनॅलाईन भर कर भेजा जाये तथा सत्यानिष्ठा का कॉलम अधूरा न छोड़ा जाये।

5- सहायक/ऐसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों द्वारा भरे गये परीक्षा परिणामों को रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित करके प्राचार्य प्रतिहस्ताक्षर करें एवं परीक्षा परिणामों की विश्वविद्यालय की पास प्रतिशत तथा महाविद्यालय की पास प्रतिशत का अन्तर अवश्य लिखी जाये। यदि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की पास प्रतिशत विश्वविद्यालय से कम है और प्राचार्य इस बात से सहमत है कि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों का इसमें कोई दोष नही है तो इस सम्बंध में पूरा विवरण अंकित करते हुए अपनी टिप्पणी दें।

6- सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों शिक्षा सत्र के दौरान 30 जून से पूर्व तीन माह तक जिस महाविद्यालय में नियमित या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है वा० गोपनीय रिपोर्ट उसी महाविद्यालय के प्राचार्य (जिस प्राचार्य की देख–रेख में कार्य किया गया हो) द्वारा लिखी जाये। इसके अतिरिक्त यदि उस प्राचार्य का स्थानान्तरण हो चुका हो तो वर्तमान प्राचार्य जिसका समय 3 महीने से कम है वह प्राचार्य उक्त(पूर्व) प्राचार्य को वा० गोपनीय रिपोर्ट स्थानान्तरण करेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व प्राचार्य यदि सेवानिवृत हो चुका हो तो मद न0 4 के अनुसार कार्यावाही करे।

7- प्राचार्य द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि उनके महाविद्यालय में कितने सहायक /एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर कार्यरत है तथा कोई ए0सी0आर0 भेजी जानी शेष नहीं है। यदि कोई ए0सी0आर0 लम्बित रखी जाती है तो उसका पूर्ण विवरण आनॅलाईन देते हुए कारण स्पष्ट किया जाये।

8- प्राचार्य द्वारा यह भी सत्यापित किया जाये कि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों के विरूद्व कोई शिकायत/चार्जशिट तथा Vigilance inquiry/criminal cases pending तो नहीं है। यदि है तो इसका पूर्ण विवरण वा० गोपनीय रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाये।

9- वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने हेतु जारी हिदायतें की प्रति भी संलग्न है। उपरोक्त अंकित हिदायतें को ध्यान में रखकर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निर्धारित अवधि तक निदेशालय में ऑनलाईन भिजवाना सुनिश्चित करें।

10- यदि मद न0 2 बारे प्राचार्य द्वारा अनुपालना नहीं की जाती है तो उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

नोटः– सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों द्वारा दिनांक 31.08.2025 से पूर्व अपनी सैल्फ अप्रैजल रिपोर्ट भरकर अपने Principal/Reporting Officer को आनॅलाईन भिजवाना सुनिश्चित करें तथा सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को यह निर्देश दिए जाते है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों की सैल्फ अप्रैजल रिपोर्ट को

दिनांक 30.09.2025 तक निदेशालय में आनॅलाईन पोर्टल के माध्यम से भरकर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्यावश वा0 गोपनीय रिपोर्ट नहीं भरी जाती है तो उसको रदद माना जाएगा जिसके लिए सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर/प्राचार्य स्वंय जिम्मेवार होंगें। इसके अतिरिक्त यदि कोई सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर का स्थानान्तरण अन्य विभाग/विश्वविद्यालय मे हो गया हो तो प्राचार्य उन्हें Self Appraisal भरने हेतु सूचित करेगा।

अधीक्षक महाविद्यालय–7
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,हरियाणा,
पंचकूला।

दिनांक, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक–सम–

इसकी एक प्रति इन्चार्ज आई0टी0 सैल को वर्ष 2024–25 की वा0 गोपनीय रिपोर्ट का पोर्टल खोलने हेतु तथा विभाग की वैबसाईट/राजकीय महाविद्यालयों की ई0मेल आई0डी0 पर अपलोड करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

-Sd-
अधीक्षक महाविद्यालय–7
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,हरियाणा,
पंचकूला।